

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 03.11.2022

धोखाधड़ी से पैसे व मोटरसाइकिल हडपने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, धोखाधड़ी से हड़पी हुई मोटरसाइकिल बरामद

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में श्री शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 899/22 धारा 420/406/411 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गौरव कुमार रजक पुत्र लालजी प्रसाद निवासी ग्राम बड़गो थाना रामगढ़ताल गोरखपुर के कब्जे से धोखाधड़ी की एक अदद वाहन मोटरसाइकिल को बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया अन्य विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

संक्षिप्त घटना व पूछताछ विवरण:-

दिनांक 31.10.22 को वादी मुकदमा के द्वारा सूचना दी गयी कि मैंने अपनी कार चलाने के लिए एक ड्राइवर रखा था जो मेरे यहा काफी दिनों से काम कर रहा था जिसने पिछले कई महिनों में विभिन्न तिथियों में धोखाधड़ी से मुझसे 46000/- रुपये आनलाइन व मोटर साइकिल जिससे अपने घर से मेरे घर आता जाता था धोखे से लेकर भाग गया था जिससे मैंने कई बार अपनी मोटरसाइकिल वापस करने के लिए व हड़पे हुए पैसे को वापस करने को कह रहा था लेकिन वह वापस नहीं कर रहा था। जिसे हड़पने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे अभियुक्त गौरव कुमार रजक पुत्र लालजी प्रसाद निवासी ग्राम बड़गो थाना रामगढ़ताल गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गौरव कुमार रजक पुत्र लालजी प्रसाद निवासी ग्राम बड़गो थाना रामगढ़ताल गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 899/22 धारा 420/406/411 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

मोटरसाइकिल हीरो होण्डा साइन कलर ब्लैक

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 राजेश कुमार सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. कां0 रामाराम थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. का0 राकेश सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर